



वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय  
5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनाॅट सर्कस, नई दिल्ली – 110001  
फा. सं : 09/GoM on Real Estate Sector/GSTC/2018

दिनांक : 26-09-2023

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : जीएसटी (GST) शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 15.01.2019, 09.06.2021, 05.01.2022, 10.02.2022 और S-31011/12/2021-DIR(NC)-DOR, दिनांक 22.09.2022 के समसंख्यक कार्यालय-ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रियों के समूह (GoM) की पुनर्गठित सदस्यता इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	श्री अजीत पवार	उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	संयोजक
2.	श्री हरपाल सिंह चीमा	वित्त, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री, पंजाब	सदस्य
3.	श्री कनुभाई देसाई	वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री, गुजरात	सदस्य
4.	श्री के. एन. बालागोपाल	वित्त मंत्री, केरल	सदस्य
5.	श्री मौविन गोडिन्हो	परिवहन, उद्योग, पंचायत और प्रोटोकॉल मंत्री, गोवा	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	श्री विजय कुमार चौधरी	वित्त, वाणिज्यिक कर और संसदीय कार्य मंत्री, बिहार	सदस्य

- जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) के अन्य निर्धारित कार्यक्षेत्र (ToR) अपरिवर्तित रहेंगे।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सौरव सुमन शारदूल  
निदेशक  
दिनांक: 26-09-2023

सेवा में,

मंत्रियों के समूह(GoM) के माननीय सदस्य।

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के नोडल अधिकारी, ताकि माननीय सदस्यों को जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) के पुनर्गठन की सूचना दी जा सके।
4. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. प्रधान आयुक्त, GST नीति विंग, CBIC।
7. संयुक्त सचिव TRU, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. विधि समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक।
9. सीईओ, GSTN, नई दिल्ली।
10. सभी राज्यों के नोडल अधिकारी।

**सौरव सुमन शारदूल**

**निदेशक  
26.09.2023**